न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 71/2014
प्रकरण दर्ज तिथि :– 03.07.2014
जीसीएमएस नम्बर :– 2014/00277

वादीगण

1. श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री रूपसिंह आयु– वयस्क
2. श्री मिठूसिंह पुत्र श्री रूपसिंह आयु– व्यस्क
3. श्री भीमसिंह पुत्र श्री रूपसिंह आयु–व्यस्क
4. श्री मांगूसिंह पुत्र श्री रूपसिंह आयु– व्यस्क
5. श्री मंगलसिंह पुत्र श्री रूपसिंह आयु– व्यस्क

जाति– रावत निवासी– ग्राम बलुपुरा तहसील रायपुर जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री श्यामसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह आयु– व्यस्क
2. श्री कानसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह आयु– नाबालिग
3. श्री राजुसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह आयु– नाबालिग दोनो नाबालिग की कुदरती वली माता केसी देवी पत्नि भंवरसिंह
4. श्रीमति केसी देवी पत्नि श्री भंवरसिंह आयु– व्यस्क
5. श्री रामसिंह पुत्र श्री हीरासिंह आयु– व्यस्क
6. श्रीमति मुलीदेवी बेवा श्री हीरासिंह आयु–व्यस्क

जाति–रावत निवासी– ग्राम बलुपुरा तहसील रायपुर जिला–पाली

7. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार महोदय, तहसील रायपुर

वादपत्र वास्ते धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा सीमांकन एवं पत्थरगड्डी अन्तर्गत धारा 111,128 आर एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
2 अप्रार्थी श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 29.07.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री भूपेन्द्र सैन द्वारा वादपत्र धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादीगण की आराजी कृशि भूमि ग्राम बलुपुरा पटवार हल्का दीपावास भू अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र रायपुर तहसील रायपुर जिला पाली में स्थित चली आती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

खाता सं.		खसरा	रकबा	किस्म
नया	पुराना	संख्या	बी. बी.	
108	106	476/2	06 – 00	बारानी दोयम
		503/742	10 – 00	बारानी अव्वल
कुल खसरा – 2			कुल रकबा 16 – 00	

उपरोक्त वर्णित आराजी कृशि भूमि वाद पत्र में आगे "विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजी के खसरा संख्या 503/742 की कृषि भूमि के (सीमा के लगते ही) पड़ौसी प्रतिवादीगण हैं। तथा जिसके खसरा संख्या 503/741 के प्रतिवादी संख्या एक लगायत छः खातेदार काश्तकार भूधारक है। विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण अपने हिस्से से ज्यादा पर वादीगण की उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी कृशि भूमि पर नाजायज एवं अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और आये दिन सींव व पाळ–डोळ को लेकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 लगायत 6 के मध्य विवाद व झगड़ा–फसाद होता रहता है। जिस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 7 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते कराने हेतु पूर्व में सीमा ज्ञान विवादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 7 ने आदेश कर हल्का पटवारी को आदेशित कर उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात का सीमा ज्ञान कराने का आदेश फरमाया किन्तु आज दिन तक वादीगण के खसरा संख्या 503/742 का सीमा ज्ञान नहीं किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 लगायत 6 की नीयत बद है जो कि वादीगण के हिस्से की आराजियात पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। जिसे कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 4 लगायत 6 को अपनी सीमा तक कब्जा करने का निवेदन कई मर्तबा किया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 4 लगायत 6 नहीं मान रहे है और ऐलानिया धमकी देते हैं कि मौका देख वादीगण की आराजियात के हिस्से में जबरन कब्जा करके रहेंगे। वादीगण ने गांव के मौतबिरान व्यक्तियों को साथ ले जाकर दिनांक 20/06/2014 को पुनः प्रतिवादी संख्या 1 व 4 लगायत 6 से निवेदन किया कि आप हमारे हिस्से की आराजियात पर नाजायज कब्जा नहीं करें तथा अपनी–अपनी सीमा पर पत्थर गढ़ी करवा लेते हैं, तो पत्थर गढ़ी करवाने से प्रतिवादी संख्या 1 व 4 लगायत 6 ने साफ इन्कार कर दिया इसलिये वादी को मौजूदा वाद प्रस्तुत करने की आवष्यकता उत्पन्न हुई एवं वादीगण को अधिकार है कि वह अपनी आराजी कृशि भूमि पर पत्थर गढ़ी करवा अपनी सीमा पर मैड़, पाळ बनवाकर अपनी आराजियात का सही ढंग से कब्जा काष्त कर सकें एवं जिससे प्रतिवादीगण के हित एंव अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वादी की आराजी कृशि भूमि के पड़ौसी होने के कारण मौजुदा वाद में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वादीगण अपने हिस्से तक पत्थर गढ़ी करवाकर अनुतोश चाहता है।बिनाय दावा वाद तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण के नाम उपरोक्त आराजियात नाम अंकन हुई 20.06.2014 को एवं प्रतिवादीगण के कृत्यों से दिन–प्रतिदिन लगातार उत्पन्न हो रहा है, जो आज भी जारी है। ऐसी स्थिति में अब कानूनन प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 6 स्वयं, उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजदूरी, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादीगण की भूमि व में नही आवे, ना ही वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

कब्जे, अधिकार, काश्त की भूमि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे, और ना ही वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करे, ना ही उसमे कोई तोडफोड, तरमीम, तब्दील, परिवर्तन या निर्माण आदि ही करे, ना ही वादग्रस्त भूमिं को अथवा उसके किसी भाग पर ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादीगण द्वारा अपनी भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काष्त, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हों। तथा यदि दौराने वाद वादीगण को प्रतिवादीगण वादग्रस्त भुमियो से बेदखल कर देते है तो जरिये पुलिस इमदाद वादीगण को पुनः वादग्रस्त भुमियो पर काबिज करावें। यदि प्रतिवादीगण को निषेधित नहीं किया गया तो वे वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे जिससे वादीगण को काफी असहनीय एवं अपूर्णीय क्षति कारित होगी तथा उसके हितों पर भारी कुठाराघात होगा। प्रतिवादी संख्या 7 राजस्थान सरकार का प्रतिनिधी है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह की अवधि का विधिक नोटिस धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत दिया जाना आवष्यक है, किन्तु मौजूदा वाद एक आवष्यक प्रकृति का वाद है जिसमें यदि नोटिस दिया जाकर इंतजार किया जाता है तो वादीगण के वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा, ऐसी स्थिति में वादीगण को नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त की जा रही है। विवादग्रस्त आराजियात ग्राम बलुपुरा तहसील रायपुर में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार है। वादीगण ने प्रस्तुत वाद में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्याय शुल्क अदा कर रहा है। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादीगण की वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजी कृशि भूमि के किसी भी हिस्से से ज्यादा पर स्वयं प्रतिवादीगण या उसके नौकर–चाकर, हाली–एजेन्ट या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा ना तो कब्जा ना करें/करावें एवं ना ही उसकी सींव, पाळ–डोळ आदि को क्षतिग्रस्त करें/करावें तथा यदि दौराने वाद वादीगण को प्रतिवादीगण वादग्रस्त भुमियो से बेदखल कर देते है तो जरिये पुलिस इमदाद वादीगण को पुनः वादग्रस्त भुमियो पर काबिज कराने के आदेश फरमावें। प्रतिवादी संख्या 7 को पाबन्द फरमाया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमि की पत्थर गढ़ी करवाकर यदि वादीगण की आराजी कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से से ज्यादा पर नाजायज कब्जा कर रखा है, तो उन्हें वादीगण को दिलवाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01, 04, 05 की ओर से वकालतनामा श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता पेश किया , जो शा. मि. किया गया हैं। वादी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र वास्ते प्रतिवादी संख्या 06 को डिलीट करवाने के संबंध में पेश किया, जो शा. मि. किया गया हैं। प्रार्थना पत्र उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता कोई आपत्ति नहीं करने से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य प्रतिवादी संख्या 06 की फौत होने एवं उनके कायम मुकाम पूर्व में रेकर्ड पर होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 02, 03 नाबालिग हैं, जिनकी वली प्रतिवादी संख्या 04 हैं। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र पर सीमांकन एवं पत्थर गढढी के आदेश फरमावें। प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति प्रदान की । उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की सरहद मौजा बलुपुरा पटवार हल्का दीपावास भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 476/2 रकबा 06 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 503/742 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल के रेकर्डेड खातेदार/काश्तकार हैं एंव

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन व पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

आदेश

वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बलुपुरा पटवार हल्का दीपावास भू अभिलेख निरीक्षक रायपुर के खसरा नम्बर 476/2 रकबा 06 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 503/742 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल की उक्त कृषि भूमि में बाद विधिसम्मत प्रकिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण,खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को इस आदेश के साथ प्रेषित की जावें कि उक्त भूमि का सीमांकन शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी किया जावें एवं मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)